विविध बैंक प्रकरण संख्या 46/2021(GCMS : 2021/137) पंजाब नेशनल बैंक जरिये श्री निशान्त खुराना प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक कार्यालय SASTRA केन्द्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर बनाम 1. CGR Collateral Management Limited (Throuth Its Director/Autorized Signatory) **ओमप्रकाश** पुत्र गोपीराम **(डाइरेक्टर/जमानती) अमनदीप** पुत्र ओम प्रकाश **(डाइरेक्टर/जमानती), संदीप चोयल (डाइरेक्टर), सुखजिन्द्र सिंह (डाइरेक्टर), रमेश चन्द्रा (डाइरेक्टर)** प्रथम तल दुकान नं. 151, नई धान मंडी, श्रीगंगानगर, **ऑफिस नं. 335,** 3 तल, जेएमडी मेगापोलिस, सोहना रोड़, सैक्टर–48, गुडगांव (हरियाणा), **ऑफिस नं. ...0,** 6 तल, सीजीआर मॉल, हनुमानगढ रोड, श्रीगंगानगर **2. ओम प्रकाश** पुत्र गोपीराम 3. **अमनदीप** पुत्र ओम प्रकाश निवासीगण 3–एच–16 जवाहर नगर श्रीगंगानगर एवं वार्ड नं. 09, नजदीक पीएनबी बैंक,सादुलशहर

04.04.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 10.09.2021 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण **CGR Collateral Management Limited (Throuth Its Director/Autorized Signatory ओमप्रकाश, अमनदीप, संदीप चोयल, सुखजिन्द्रर सिंह, रमेश चन्द्रा),ओम प्रकाश एवं अमनदीप** को ऋण सुविधा के रूप में 04.95/– करोड़ रूपये (अखरे रूपये चार करोड़ पिचयानवे लाख मात्र) का ऋण दिनांक 10.08.2017 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी **CRG Collateral Management Limited** ने अपनी संपरविर्तित व्यावसायिक सम्पत्ति (गोदाम) स्थित खाता नं. 14/19, पत्थर नं. 205/320, मुरब्बा नं. 34, किल्ला नं. ... (0.…3 है.) व 18 (0.253 है.) (क्षेत्रफल 5060 वर्गमीटर या 0.506 हैक्टेयर), ...29 एनपी, पटवार हल्का 24 एनपी,ग्राम पंचायत ठाकरी, तहसील रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर एवं व्यावसायिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:57:00 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

सम्पत्ति स्थित इंडस्ट्रियल प्लॉट नं. बी—138 (क्षेत्रफल 8000 वर्गमीटर) फेस—II, इंडस्ट्रियल एरिया, घड़साना, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.03.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणियों के नाम दिनांक 31.03.2021 को 5,03,74,368/—रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है **जिस पर अप्रार्थीगण CGR Collateral Management Limited (Throuth Its Director/Autorized Signatory ओमप्रकाश, अमनदीप, संदीप चोयल, सुखजिन्द्रर सिंह, रमेश चन्द्रा),ओम प्रकाश एवं अमनदीप को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 09.06.2021 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का** रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 17.06.2021 को भिजवाया गया है जो अप्रार्थीगण ऋणियों को पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक के अनुसार प्राप्त हो गये हैं। **इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी **CGR Collateral Management Limited** द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई अपनी संपरिवर्तित व्यावसायिक सम्पत्ति (गोदाम) स्थित खाता नं. 14/19, पत्थर नं. 205/320, मुरब्बा नं. 34, किल्ला नं. 17 (0.253 है.) व 18 (0.253 है.) (क्षेत्रफल 5060 वर्गमीटर या 0.506 हैक्टेयर) चक 29 एनपी, पटवार हल्का 24 एनपी, , ग्राम पंचायत ठाकरी, तहसील रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर एवं व्यावसायिक सम्पत्ति स्थित इंडस्ट्रियल प्लॉट नं. बी—138 (क्षेत्रफल 8000 वर्गमीटर) फेस—II, इंडस्ट्रियल एरिया, घड़साना, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:57:00 IST
Reason: SelfAttested

मैंने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण CGR Collateral Management Limited (Throuth Its Director/Autorized Signatory ओमप्रकाश, अमनदीप, संदीप चोयल, सुखजिन्द्रर सिंह, रमेश चन्द्रा),ओम प्रकाश एवं अमनदीप** को 04.95/— करोड़ रूपये (अखरे रूपये चार करोड़ पिचयानवे लाख मात्र) का ऋण राशि की **स्वीकृति 10.08.2017 को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी **द्वारा सुरक्षा की एवज में CGR Collateral Management Limited की** संपरविर्तित व्यावसायिक सम्पत्ति (गोदाम) स्थित खाता नं. 14/19, पत्थर नं. 205/320, मुरब्बा नं. 34, किल्ला नं. 17 (0.253 है.) व 18 (0.253 है.) (क्षेत्रफल 5060 वर्गमीटर या 0.506 हैक्टेयर) चक 29 एनपी, पटवार हल्का 24 एनपी, , ग्राम पंचायत ठाकरी, तहसील रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर एवं व्यावसायिक सम्पत्ति स्थित इंडस्ट्रियल प्लॉट नं. बी—138 (क्षेत्रफल 8000 वर्गमीटर) फेस—II, इंडस्ट्रियल एरिया, घड़साना, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **31.03.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 09.06.2021 को जारी किये गये है। जो कि अप्रार्थीगण **CGR Collateral Management Limited (Throuth Its Director/Autorized Signatory ओमप्रकाश, अमनदीप, संदीप चोयल, सुखजिन्द्रर सिंह, रमेश चन्द्रा),ओम प्रकाश एवं अमनदीप** को धारा 13(2) के नोटिस पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 17.06.2021 को भिजवाये

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:57:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

गई है, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा तथा अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/ जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी **CGR Collateral Management Limited** द्वारा **बंधक रखी गई** संपरिवर्तित व्यावसायिक सम्पत्ति (गोदाम) स्थित खाता नं. 14/19, पत्थर नं. 205/320, मुरब्बा नं. 34, किल्ला नं. 17 (0.253 है.) व 18 (0.253 है.) (क्षेत्रफल 5060 वर्गमीटर या 0.506 हैक्टेयर) चक 29 एनपी, पटवार हल्का 24 एनपी, , ग्राम पंचायत ठाकरी, तहसील रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर एवं व्यावसायिक सम्पत्ति स्थित इंडस्ट्रियल प्लॉट नं. बी–138 (क्षेत्रफल 8000 वर्गमीटर) फेस–।।, इंडस्ट्रियल एरिया, घड़साना, श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणि[illegible] **धारा 13(2) के जारी** नोटिस 09.06.2021 की तामि[illegible] के अनुसार दिनांक 09.06.2021 को 60 दिवस में राशि ज[illegible] करवाने का धारा 13(2) के जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:57:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

नोटिस अप्रार्थीगण के नाम से जारी किये गये है। अप्रार्थीगण **CGR Collateral Management Limited (Throuth Its Director/Autorized Signatory ओमप्रकाश, अमनदीप, संदीप चोयल, सुखजिन्द्रर सिंह, रमेश चन्द्रा),ओम प्रकाश एवं अमनदीप** को धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 17.06.2021 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति स्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हो चुका है। अतः अप्रार्थीगण को धारा 13(2) नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी **CGR Collateral Management Limited** के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 10.09.2021 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी **CGR Collateral Management Limited** द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई संपरविर्तित व्यावसायिक सम्पत्ति (गोदाम) स्थित खाता नं. 14/19, पत्थर नं. 205/320, मुरब्बा नं. 34, किल्ला नं. 17 (0.253 ... 8 (0.253 है.) (क्षेत्रफल 5060 वर्गमीटर या 0.506 हैक्टेयर) ... 24 एनपी, , ग्राम पंचायत ठाकरी, तहसील रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर एवं व्यावसायिक सम्पत्ति स्थित इंडस्ट्रियल प्लॉट नं. बी–138 (क्षेत्रफल 8000 वर्गमीटर) फेस–II,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:57:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

इण्डस्ट्रियल एरिया, घड़साना, श्रीगंगानगर **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:57:00 IST
Reason: SelfAttested